प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक– 1009 /पन्द्रह

दिनांक–13–07–2020

विषय– Mechanism/Modalities for functioning of District Court & Outlying Courts, Shahjahanpur, not falling under Containment Zone during COVID-19 pandemic.

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय न्यायालय के पत्र संख्या–1117/LXXXVII–सी0पी0सी0/ई–कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 03 जून, 2020 के अनुपालन के सन्दर्भ में कोरोना समिति, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर को दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा आज दिनांक 13–07–2020 को आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक– 13–07–2020
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

13/07/2020

जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

कोरोना समिति,

जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

शाहजहाँपुर।

विषयः कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास करने के सन्दर्भ में दैनिक कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad/ दिनांकित 03.06.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में माननीय महोदय के प्रशासनिक आदेश संख्या-121/2020 दिनांकित 04.06.2020 के अनुपालन में अवगत कराना है कि श्री किरन पाल सिंह, अध्यक्ष, कोरोना समिति/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं श्री सुरजन सिंह, सदस्य, कोरोना समिति/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्यालय से बाहर हैं। कोरोना समिति द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयासों तथा न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में आज **दिनांक 13.07.2020** को सम्पादित कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

1. **कल दिनांक-12.07.2020 को एस.एच.ओ, थाना-सदर बाज़ार, शाहजहाँपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद न्यायालय (मुख्यालय) के गेट सं-1 के निकट स्थित पुलिस चौकी प्रभारी, उपनिरीक्षक श्री अवधेश कुमार कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये हैं। तत्क्रम में जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर के पत्र संख्या-246/ कोविड-19/ 2020-2021 दिनांक 12.07.2020 तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर के पत्र संख्या- मु.चि.अ./ कोविड-19/2020-21/2627, दिनांक-12.07.2020 द्वारा भी उपनिरीक्षक श्री अवधेश कुमार के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने की पुष्टि करते हुए बताया गया कि श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-902/V-5-2020, दिनांक- 31.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार न्यायालय परिसर को विसंक्रमित कराकर 24 घंटे के लिये पूर्णता: बंद रखे जाने के पश्चात सामान्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाना प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सं- 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, dated- 03.06.2020** के अनुपालन में जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर की आख्या के अनुसार माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक **आदेश संख्या-133/2020, दिनांक-12.07.2020 द्वारा दिनांक 13.07.2020 को सम्पूर्ण जनपद न्यायालय परिसर को विसंक्रमित कराकर 24 घंटे के लिये पूर्णतया बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। (सुलभ संज्ञान हेतु आदेश की छाया प्रति संलग्न हैं)**
2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी कार्यालय के पत्रांक संख्या 247/ कोविड-19/2020-2021 दिनांकित 13.07.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि **जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर, बाह्य न्यायालय तिलहर एवं जलालाबाद कन्टेनमेंट जोन में नहीं है। जनपद न्यायालय परिसर में चौकी प्रभारी के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पाये जाने के कारण उक्त परिक्षेत्र 24 घंटे बंद रखा जायेगा। वाह्य न्यायालय पुवायां कन्टेनमेंट जोन में है।**
3. **वाह्य न्यायालय पुवायां कन्टेनमेंट जोन में होने के कारण माननीय जनपद न्यायाधीश, शाहजहांपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-131/2020, दिनांक- 08.07.2020 द्वारा वाह्य न्यायालय, पुवायां बंद है। वर्तमान में वाह्य न्यायालय, जलालाबाद रिक्त होने के कारण जनपद मुख्यालय स्थित प्रभारी अधिकारी सिविल जज (जू. डि.), शाहजहाँपुर द्वारा वाह्य न्यायालय, जलालाबाद के दीवानी एवं फौजदारी प्रकृति के अर्जेंट कार्य भी सम्पादित किये जा रहे हैं, परन्तु आज दिनांक- 13.07.2020 को प्रशासनिक आदेश संख्या- 133/2020, दिनांकित 12.07.2020 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर बंद है। प्रशासनिक आदेश संख्या-134/2020, दिनांकित-13.07.2020 द्वारा वाह्य न्यायालय, जलालाबाद के समस्त दीवानी एवं फौजदारी प्रकृति के अर्जेंट कार्यों का निस्तारण सिविल जज (जू. डि.), वाह्य न्यायालय, तिलहर,शाहजहाँपुर द्वारा किया जायेगा।**
4. माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के आदेशों के अनुपालन में आज प्रातः जिला प्रशासन एवं नगर निगम से समन्वय स्थापित करके कोरोना से बचाव हेतु जनपद मुख्यालय के सभी

Scanned with CamScanner

न्यायालय कक्षों, कार्यालयों, अधिकारीयों के विश्राम कक्षों, अधिवक्ताओं के चैंबर सहित सम्पूर्ण न्यायालय परिसर की समुचित साफ-सफाई के उपरान्त उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया।

5. इसी प्रकार बाह्य न्यायालयों की समुचित साफ-सफाई के उपरान्त उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया। सभी न्यायालय कक्षों, कार्यालयों, विश्राम कक्षों एवं न्यायालय परिसर के सभी स्थलों पर साफ सफाई करायी गयी है। न्यायालय परिसर में फागिंग करायी गयी है। न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन दिन में दो बार अर्थात न्यायालय प्रारम्भ होने से पूर्व तथा न्यायालयों की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त कराया जा रहा है। बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायां एवं जलालाबाद के परिसर का भी उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया है।

6. वाह्य न्यायालय तिलहर एवं जलालाबाद कार्य संपादन हेतु खोले गए हैं, न्यायिक कार्य सम्पादित करने वाले वाह्य न्यायालयों में कुल 02 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आये हैं। वाह्य न्यायालयों में 18 कर्मचारी उपस्थित आयें है।

7. जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर की समर्पित (dedicated) ई-मेल आई.डी. **districtcourtspn@gmail.com** है। इस ई-मेल आई.डी. पर आज दिनांक 13.07.2020 को कोई भी आवेदन पत्र, जमानत प्रार्थनापत्र, वहस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. वाह्य न्यायालयों द्वारा आज की तिथि पर विचारित किये गये मामलों की संख्या तथा उनके द्वारा निस्तारित मामलों की संख्या, इस अनुपालन आख्या के साथ सारणी के रूप में संलग्न की जा रही है।

उपरोक्तानुसार समिति की दैनिक अनुपालन रिपोर्ट माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांकः 13.07.2020
संलग्नकः यथोक्त

13.07.2020
(सौरभ द्विवेदी)
सदस्य,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(सुरजन सिंह)
सदस्य,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(किरन पाल सिंह)
अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(रमेश चन्द्र मिश्रा) 13.7.2020.
सदस्य,
कोरोना समिति/
प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

13/7/2020
(कुलदीप कुमार)
सदस्य,
कोरोना समिति/
न्यायालय प्रबन्धक,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

Seen.
13/07/2020.

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

संख्या 247 /कोविड–19/2020–2021 दिनांक 13 जुलाई,2020

विषय : **कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–702/XV दिनांक 21 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर व जलालाबाद की जोन की स्थिति की दैनिक आख्या प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार की नयी गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर में चौकी प्रभारी के पॉजिटिव पाये जाने के कारण 24 घंटे परिक्षेत्र बन्द रखा जायेगा तथा वाहृय न्यायालय तिलहर व जलालाबाद का परिक्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर है। वाहृय न्यायालय पुवायाँ का परिक्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन में है।

तदनुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
नोडल अधिकारी
शाहजहाँपुर।

Scanned with CamScanner

Office of District & Sessions Judge, Shahjahanpur.

Administrative Order No. 133 /2020

It has been intimated by the SHO, Sadar Bazar, Shahjahanpur today on 12-07-2020 that Sub-inspector Sri Awadhesh Kumar, who is Chowki Incharge of the District Court Campus, situated near gate no. 01 of Campus, has been found Corona positive. As soon as the information received, looking the gravity of the information, a report was called from the CMO, Shahjahanpur and the District Magistrate, Shahjahanpur for confirmation.

The Chief Medical Officer, Shahjahanpur has informed today, vide letter no. CMO/COVID-19/2020-2021/2627 Dated: 12.07.2020, that the report of the aforesaid Sub-inspector Sri Awadhesh Kumar is positive for COVID-19. The Chief Medical Officer has also opined that as per directions of U.P. Govt., detailed in letter no. 902/five-5-2020 Dated 31.05.2020 of Sri Amit Mohan Prasad, Principal Secretary of U.P. Govt., Chikitsa Anubhag-05, the court should be closed for 24 hours, after complete disinfection and sanitisation of the entire court campus. The District Magistrate, Shahjahanpur has also sent the report vide letter no. 246/COVID-19/2020-21, Dated 12.07.2020, which is based on the report of the CMO, Shahjahanpur.

In compliance of the guidelines issued by the Hon'ble High Court vide letter no. 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 03 June 2020 and considering the reports of the District Magistrate as well as the CMO, Shahjahanpur, I am also of the opinion that to prevent the spread of COVID-19, among employees, advocates, litigents and other stake-holders, the comprehensive sanitisation, disinfection and cleaning of the court campus as per medical protocol and closure of the Court for 24 hours i.e on 13.07.2020 is necessary.

Hence, the District Court, Shahjahanpur will be closed on 13.07.2020 and will re-open on 14.07.2020, after complete sanitisation and cleaning as per medical guidelines and protocol.

The Chairman, Corona Virus Committee of this judgeship, is directed to ensure complete sanitisation, disinfection and cleaning of entire court campus, as per medical guidelines and protocol, with the help of District Administration, CMO and Nagar Nigam etc.

Copy of this order be sent to the District Magistrate, the CMO and the Nagar Ayukt, Shahjahanpur for information and necessary action.

Copy of this order be sent to the President, Central Bar Association, Shahjahanpur for information.

Copy of this order be circulated among all the Judicial Officers of this Judgeship and the Nodal Officer, Computer to upload this order on the District Court website.

Send a copy to District Information Officer for publication in news papers.

A copy of this order be send to the Hon'ble High Court for necessary information.

Inform all concerned accordingly.

Date: 12.07.2020

Devendra Singh
12.07.2020
I/C District Judge,
Shahjahanpur.

Scanned with CamScanner